सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम **प्रकरण संख्या 43/2019** (GCMS No. 2019/00076) अनवान् 1. **रामरतन** पुत्र श्री नत्थुराम, जाति जाट निवासी रामसरा जाखडान, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) 2. **प्रेम** यादव पुत्र री ख्यालीराम जाति यादव, निवासी सिद्धूवाला, पंचायत रामसरा जाखडान, तहसील सूरतगढ , जिला श्रीगंगानगर (राज.) **3. महेन्द्र कुमार** पुत्र श्री हरीराम जाति जाट उम्र 44 वर्ष, निवासी रामसरा जाखड़ान, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **4. रचना जाखड़** पत्नी स्व. श्री देवेन्द्र कुमार निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला **रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री आनन्द व्याय एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री अशोक कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि दिनांक 12.12.2011 को प्रार्थीगण द्वारा अपने कृषि कार्य हेतु पंजाब से जरिये बिल संख्या 53155 प्रार्थी प्रेम यादव द्वारा 800 लीटर डीजल, जरिये बिल संख्या 53156 प्रार्थी राम रतन द्वारा 700 लीटर डीजल व जरिये बिल संख्या 53157 पार्थी महेन्द्र कुमार द्वारा 500 लीटर डीजल इस प्रकार कुल 2000 लीटर डीजल श्री बालाजी एचपी पैट्रो सिटी, गुमजाल (अबोहर) से मंगवाया था जो देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री लच्छीराम, निवासी रामसरा जाखड़ान, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर वाहन मालिक वाहन पिकअप नं. आर.जे. 13 जीए 6782 जो कि वाहन चालक श्योप्रकाश लेकर आया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि उ[illegible] का 22 एमएल के पास एक्सीडेंट होने के कारण [illegible] के विरुद्ध 279, 337 आईपीसी में व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में चालान प्रस्तुत [illegible]या एवं डीजल मात्रा 2000 लीटर होने के कारण उक्त वाहन व डीजल के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा 6ए आवश्यक वस्तु

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई थी जिसमें श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2012 को वाहन व डीजल राजसात करने के आदेश दिये गये थे।

उनका आगे कथन था कि वर्तमान में 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनिमय की कार्यवाही में **अभियुक्त श्योप्रकाश को दिनांक 24.08.2016 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषमुक्त किया जा चुका है।** वर्तमान में उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई अपील/निगरानी विचारणीय नहीं है।

उनका आगे कथन था कि श्रीमान् न्यायालय द्वारा रचना जाखड व श्योप्रकाश द्वारा प्रार्थना करने पर **दिनांक 26.02.2018 को वाहन/राशि के सम्बन्ध में रचना जाखड़ व श्योप्रकाश के पक्ष में निर्णय किया जा चुका है।** प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते वक्त प्रार्थीगण उपलब्ध नहीं थे। इसलिए प्रार्थीगण अपने खरीदशुदा डीजल के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके।

उनका आगे कथन था कि जब्तशुदा डीजल प्रार्थीगण द्वारा ही खरीद किया हुआ है एवं **प्रार्थीग्ण श्योप्रकाश को 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषमुक्त किये जाने के पश्चात उक्त डीजल को प्राप्त करने के अधिकारी है।** प्रार्थीगण को श्योप्रकाश के दोषमुक्त होने की जानकारी नहीं रही है। जानकारी होने के पश्चात उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत किया जा रहा है।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थीगण अपने कृषि कार्य के कारण बार–बार आने में असमर्थ है। इसलिए प्रार्थीगण अपने जब्तशुदा डीजल की राशि रचना जाखड़, जो कि देवेन्द्र कुमार की पत्नी है, वर्तमान मे देवेन्द्र कुमार की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए यदि प्रार्थीगण के डीजल की राशि को रचना जाखड़ को लौटाया जाता है तो प्रार्थीगण को कोई एतराज नहीं है। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि जब्तशुदा डीजल श्रीमान् न्यायालय के आदेशानुसार जब्त किया था। श्रीमान् न्यायालय का डीजल जब्त करने का आदेश 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के निर्णयाधीन था। **वर्तमान में स्योप्रकाश को 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषमुक्त किया जा चुका है।** इसलिए प्रार्थीगण के जब्तशुदा 2000 लीटर की राशि प्रार्थीगण को लौटाये जाने के आदेश प्रदान करें एवं डीजल राशि रचना जाखड़ के खाते में जमा करवाने हेतु जिला रसद अधिकारी को आदेशित करने की कृपा करें।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में **रचना जाखड़ का नाम प्रार्थना पत्र के क्रम संख्या 4 पर अंकित है परन्तु रचना जाखड़ के प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है इसके साथ साथ रचना जाखड़ का कोई शपथ पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।**

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार जिन्होनें विचाराधीन प्रार्थना पत्र पेश किया है वे पूर्व के किसी भी प्रकरण में पक्षकार नहीं रहें है, यदि वास्तव में जब्तशुदा डीजल अप्रार्थीगण का था, उन्हें सर्वप्रथम पूर्व के समस्त प्रकरणों में पक्षकार बनना चाहिये था, परन्तु वे पूर्व के किसी भी प्रकरण में पक्षकार नही थे, इसलिए जब्तशुदा 2000 डीजल प्रार्थीगण को नहीं लौटाया जा सकता है।

उनका आगे कथन था कि श्रीमान्जी के न्यायालय में तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी के अधिकारी देवेन्द्र कुमार ने अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया था जिसमें 2000 लीटर डीजल एवं पिकअप जीप संख्या आरजे 13 जीए 6782 मय टंकी को राजसात करने की प्रार्थना करने पर, श्रीमान्जी अपने निर्णय दिनांक 30.01.2012 से 2010 लीटर डीजल के साथ पिकअप नं. आरजे 13 जीए 6782 मय टंकी को राजसात करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आदेश प्रदान किये गये थे और वाहन स्वामी यदि जब्तशुदा वाहन पिकअप नं. आरजे 13 जीए 6782 मय टंकी की जुर्माना राशि 86732/— रूपये जमा कराने पर उसे नियमानुसार वाहन वापिस लौटाने के आदेश दिये गये थे, **जिसमें वर्तमान प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे और न ही उन्होंने पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।**

उनका आगे कथन था कि उक्त आदेश के विरूद्ध देवेन्द्र कुमार ने सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दाण्डिक अपील संख्या 36/20102 पेश की जिसकें **सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 23.02.2012 से वाहन पर अधिरोपित जुर्माना 86732/— में संशोधन किया जाकर तीस हजार रूपये जुर्माना लगाया गया था तथा जिला कलक्टर द्वारा पारित शेष आदेश को यथावत् रखा गया थे, जिसमें भी वर्तमान प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे,** इसलिए जब्तशुदा 2000 लीटर डीजल लौटाने का प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उनको आगे यह भी कथन था कि सरकार द्वारा अप्रार्थी श्योप्रकाश के विरूद्ध फौजकारी प्रकरण संख्या 524/2014 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था **जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.08.2016 के द्वारा अभियुक्त श्योप्रकाश पुत्र भजनलाल को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किया गया था, जिसमें भी वर्तमान प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे,** इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन था कि [illegible] श्योप्रकाश एवं रचना जाखड़ पत्नी स्व. देवेन्द्र कुमार द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित उन्मोचित आदेश दिनांक 24.08.2016 के पश्चात प्रकरण श्रीमान्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 23.02.2012 के द्वारा जुर्माना राशि संशोधित कर 30,000/— किये जाने पर, **शेष जुर्माना राशि 56573/— रूपये वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार की मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी पत्नी रचना जाखड़ को वापिस लौटाये जाने के आदेश दिये गये थे** परन्तु डीजल या डीजल विक्रय राशि प्रार्थीगण श्योप्रकाश एवं रचना जाखड से सम्बन्धित नहीं होने के कारण उनका डीजल लौटाने का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।

उनका आगे कथन था कि वर्तमान प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार पूर्व के किसी भी प्रकरण में पक्षकार नहीं थे इसलिए वे उक्त जब्तशुदा 2010 डीजल लौटाने की मांग नहीं कर सकते है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

मैंने दोनों पक्षों के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार और रचना जाखड़ (प्रार्थना पत्र में सिर्फ नाम अंकित) ने दिनांक 26.02.2019 को प्रार्थना पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि वर्तमान में श्योप्रकाश को 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में दोषमुक्त किया जा चुका है इसलिए प्रार्थीगण के जब्तशुदा 2000 लीटर डीजल की राशि प्रार्थीगण को लौटाये जाने के आदेश प्रदान करें एवं डीजल राशि रचना जाखड़ के खाते में जमा करवाने हेतु जिला रसद अधिकारी को आदेशित करने की कृपा करें।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 193/2011 अनवान् सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार वाहन मालिक में दिनांक 30.01.2012 को आदेश पारित कर अंतिम पैरा में निम्नानुसार अंकित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि चूंकि उक्त जब्तशुद्धा पिकअप जीप नं. आरजे 13 जीए 6782 को राजसात करने के आदेश दिये जा चुके है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि 86732/– रूपये (अखरे रूपये छियासी हजार सात सौ बत्तीस मात्र) जमा करवा देवें तो उसे पिकअप जीप नं. आरजे 13 जीए 6782 मयटंकी नियमानुसार वापिस लौटा दी जावे। यदि उसके द्वारा जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो राजसात किये गये उक्त 2010 लीटर डीजल के साथ पिकअप जीन नं. आरजे 13 जीए 6782 मय टंकी का भी निस्तारण नियमानुसार राज्य पक्ष में करवाया जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

माननीय सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 36/2012 अनवान् देवेन्द्र कुमार बनाम जिला कलक्टर एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर में दिनांक 23.02.2012 को निम्नानुसार आदेश पारित किया है:

> फलतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 30.01. 2012 के द्वारा वाहन राजसात की एवज में डीजल की कीमत 86,732/– के समान जुर्माना अधिरोपित करने का जा जो आदेश दिया है उसमें संशोधन किया जाकर तीस हजार रूपये जुर्माना वाहन के राजसात की एवज में लगाया जाता है। उक्त जुर्माना राशि जमा करवाने पर जब्तशुदा वाहन जीप आरजे 13 जीए 6782 मय टंकी अपीलार्थी को नियमानुसार सौंपी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष आदेश यथावत रखा जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने फौजदारी प्रकरण संख्या 524/2014 अनवान् सरकार बनाम श्योप्रकाश में दिनांक 24.08.2016 में निम्न आदेश पारित किया है :

> अतः **अभियुक्त श्योप्रकाश पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी 1 डीबीएन ए थाना सदर श्रीगंगानगर को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।** मुलजिम के पूर्व के उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 06/2017 अनवान् श्योप्रकाश एवं रचना जाखड़ पत्नी स्व. देवेन्द्र कुमार जाखड़ बनाम जिला रसद अधिकारी में दिनांक 26.02.2018 को आदेश पारित किया है:

> अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2016 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 524/2014 सरकार बनाम श्योप्रकाश में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2016 से अभियुक्त श्योप्रकाश को दोष मुक्ति के परिणामस्वरूप धारा 6ए के प्रकरण सख्ंया 193/2011 सरकार बनाम देवेन्द्र कुमार–अज्ञात वाहन चालक में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2012 के द्वारा राजसात किये गये वाहन की एवज में लगाई गई जुर्माना राशि [illegible]/— रूपये के स्थान पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, [illegible] के निर्णय दिनांक 23.02.2012 के द्वारा [illegible] कर 30,000/— रूपये किये जाने के फलस्वरूप वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार को शेष जुर्माना राशि 56573/— रूपये जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 21.06.2013 को लौटाये जा चुके है। इसलिए जमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

शुदा जुर्माना राशि 30,000/— रूपये वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार की मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी पत्नी रचना जाखड़ को वापिस लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त विवेचन के अनुसार जब्तशुदा 2000 लीटर डीजल वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार व श्योप्रकाश के शपथ पत्रों के अनुसार उनका नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को वापिस नहीं लौटाया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगण की डीजल या डीजल विक्रय की राशि लौटाने संबंधी प्रार्थना अस्वीकार की जाती ह। डीजल स्वामियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही डीजल लौटाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विचार किया जावेगा। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अभिलेखागार में जमा शुदा धारा 6ए की पत्रावली संख्या 193/2011 आदेश की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। पत्रावली बार तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मैने आवश्यक वस्तु अधिनिमय की धारा 6क(3)(ग) का अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रावधान है:

6क(3)(ग) — जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिग्रहण का आदेश किया गया है संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है।

वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है संदत्त किया जायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि के प्रकरण में वर्तमान **प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार कभी भी किसी भी प्रकरण में पक्षकार नहीं रहे है और न ही उनके पक्ष/ विपक्ष में कोई निर्णय पारित हुआ है तो वे इस न्यायालय में किस हैसियत से 2000 डीजल की राशि उन्हें लौटाये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है?** यदि वास्तव में प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार को उक्त 2000 लीटर डीजल था तो उन्हें पूर्व के प्रकरणों में भी पक्षकार बनना चाहिए था और यदि किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषमुक्त कर दिया जाता तो उन्हें उक्त 2000 लीटर डीजल अथवा उसकी विक्रय राशि उन्हें ही लौटाई जा सकती है किन्तु प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार को किसी भी न्यायालय द्वारा दोषमुक्त नहीं किया गया है। माननीय जिला सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.08.2016 से अभियुक्त श्योप्रकाश पुत्र भजनलाल को ही धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त 2000 लीटर डीजल अथवा उसकी विक्रय राशि उन्हें नहीं लौटाई जानी उचित नहीं होगी।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण रामरतन, प्रेम यादव एवं महेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं इस न्यायालय की पूर्व समस्त पत्रावलियों के साथ निर्णय की प्रति शामिल करते हुए, पुनः जिला अभिलेखागार में जमा हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.09.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुकमणी रियार सिहाग)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:13:24 IST
Reason: SelfAttested